संख्या-09/2020/261/86-2020-9(सा0)/2020

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊः दिनांक 30 जनवरी, 2020

विषयः-उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों हेतु कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम-1957 की धारा- 9बी, 15, 15ए के तहत राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास नियमावली, 2017 अधिसूचना संख्या-866/86-2017-132/2016, दिनांक 15.05.2017 द्वारा प्रख्यापित की गयी है, जिसमें न्यास निधियों का उपयोग उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र एवं अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों हेतु किये जाने का प्राविधान है।

2. शासनादेश संख्या-3091/86-2017-132/2016, दिनांक 20.11.2017 द्वारा जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास से सम्बन्धित कार्ययोजना उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। ग्राम पंचायत की संस्तुति प्राप्त कर अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाजियों क्षेत्रों में न्यास द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव को लागू करने का प्राविधान उ0प्र0 जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास, नियमावली-2017 के नियम-5(5) में किया गया है। अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में नियमित अनुश्रवण मा0 प्रधानमंत्री जी तथा महामहिम राज्यपाल महोदया, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही है। इसलिए आवश्यक है कि अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातियों के livelihood को उच्च स्तर पर किये जाने के लिए कल्याणकारी योजनाओं, यथा-स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी केन्द्रों को उच्चीकृत एवं सुधार, शिक्षा एवं कौशल विकास योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार सम्बन्धी आर्थिक क्रियाकलापों के संचालन के साथ ही अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के सृजन एवं विकास पर विशेष रूप से बल दिया जाए।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास के अन्तर्गत जनपद के अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातिय क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं कें क्रियान्वयन हेतु तैयार व स्वीकृत की गयी कार्य योजनाओं का पूर्ण विवरण, प्रत्येक माह की 10 तारीख तक शासन एवं निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(डा0 रोशन जैकब)
सचिव।

संख्या-261(1)/86-2020-तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ को पत्र संख्या-1668/एम-37/डी.एम.एफ/2016(v), दिनांक 15.01.2020 के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित कि जनपदों से संकलित सूचना प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in